बिहार सरकार

हर घर नल का जल

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

श्री विनोद नारायण झा
माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं का ग्रामीणों द्वारा निगरानी हेतु महत्वपूर्ण सूचना

हर घर नल का जल

शुद्ध पेयजल सुखद जीवन

1. उच्च प्रवाही नलकूप (Tube Well)

1. नलकूप का स्थल यथासंभव ऊँचे स्थल पर चयनित होना चाहिए, जिसके 10 मीटर के अंदर शौचालय का सोख्ता गड्ढा एवं जल जमाव नहीं हो।
2. नलकूप में पाईप डालने के समय पाईप की लम्बाई एवं संख्या की गिनती कर नलकूप की गहराई की जानकारी प्राप्त की जाए। सामान्यतः औसतन गहराई 100–125 मीटर होनी चाहिए जिसके लिए 33 से 44 पाईप की संख्या प्रयुक्त होना चाहिए। नलकूप की गहराई स्थल विशेष की भूगर्भीय संरचना के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
3. नलकूप में पाईप डालने के समय विभागीय पदाधिकारी (न्यूनतम सहायक अभियंता / कनीय अभियंता) तथा संवेदक के अभियंता उपस्थित होना चाहिए।
4. नलकूप में पाईप डालने के बाद पाईप के बाहर चारो तरफ पी–ग्रैवेल (Pea Gravel) डालना आवश्यक है। पी–ग्रैवेल साफ होना चाहिए। पथरीले इलाके में ड्रीलिंग मशीन से बोरिंग करने पर पी–ग्रैवेल की आवश्यकता नहीं होती है।
5. पाईप पर पाईप का व्यास, पाईप की जाँच ऐजेंसी का मार्का (Stamp), निर्माता का नाम एवं ISI मार्क अंकित होना चाहिए। इसकी अवश्य जाँच की जाय।
6. नलकूप निर्माण के बाद कम्प्रेसर मशीन से सफाई प्रक्रिया पुरा होने के बाद बालू रहित एवं साफ पानी आना चाहिए।
7. नलकूप का कैसींग पाईप 6 इंच तथा ब्लैंक पाईप / स्ट्रेनर 4 इंच व्यास का होना चाहिए।

2. पम्प–मोटर का अधिष्ठापन

1. पम्प मोटर की क्षमता 2HP/3HP होना चाहिए। 100 घरों से कम के लिए समान्यतः 2HP तथा 100–250 घर तक 3HP प्रयुक्त होता है।
2. पंप–मोटर को कैसींग पाईप के अन्दर 60 से 80 फीट की गहराई तक ले जाना चाहिए, जिससे गर्मी के मौसम में भी पम्प मोटर पूरी तरह पानी में डूबा रहना चाहिए।

3. वितरण प्रणाली

1. पाईप बिछाने के लिए 3 फीट औसत गहराई की खुदाई किया जाना है।
2. पाईप बिछाने के बाद खुदाई को अच्छी तरह भरना है।
3. बिछाए गए पाईप का प्रेसर टेस्टींग करना अनिवार्य है।
4. वितरण प्रणाली में बिछाये गये पाईप का एलाईमेंट अनुमोदित नक्शा के अनुरूप होना चाहिए।

5. वितरण प्रणाली से सभी घरों में नल का जल निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु कनेक्शन अनिवार्य है।

6. वितरण प्रणाली एवं गृह जल संयोजन में उपयोग किए जाने वाले पाईप पर पाईप का व्यास, पाईप की जाँच ऐजेंसी का मार्का (Stamp), निर्माता का नाम एवं ISI मार्क अंकित होना चाहिए। वितरण प्रणाली में 75 मी0मी0, 63 मी0मी0, 50 मी0मी0 एवं 40 मी0मी0 HDPE पाईप, गृह संयोजन हेतु 20 मी0मी0 MDPE पाईप तथा नल संयोजन हेतु 15 मी0मी0 व्यास का CPVC पाईप होना चाहिए।

4. पानी टंकी

1. HDPE पानी टंकी अच्छी गुणवत्ता ISI मार्क का होना चाहिए।
2. पानी टंकी की ऊँचाई 8m होनी चाहिए।
3. पानी टंकी की क्षमता 10,000 लीटर होना चाहिए।

5. अन्य

1. जलापूर्ति चालू होने के पश्चात् सभी घरों में समुचित मात्रा एवं Pressure में नल से जल उपलब्ध होना चाहिए। खास करके अंतिम छोर के घरों में समुचित मात्रा एवं Pressure होनी चाहिए। अच्छा Pressure का अनुमान्य है एक मिनट में 10–12 लीटर पानी भरना चाहिए।
2. पाईप लाईन में कही भी लिकेज दृष्टिगत होने पर इसकी सूचना अविलम्ब पंप चालक को देते हुए पंप गृह में रक्षित शिकायत पुस्तिका में अवश्य दर्ज करावे।
3. योजना से संबंधित किसी तरह की शिकायत जिला के विभागीय कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में कार्यरत नियंत्रण कक्ष के टेलिफोन नं0–पर दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के उपरान्त शिकायत का निबंधन संख्या अवश्य प्राप्त कर लें। विभाग के स्तर पर भी **टॉल फ्री नं0–1800 1231 121** पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, सम्पुष्टि SMS के माध्यम से की जाएगी।
4. गुणवत्ता प्रभावित वार्ड में अधिष्ठापित ट्रीटमेंट यूनिट के जल की जाँच प्रतिवेदन पंप चालक से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही आप स्वयं भी जल के नमूने की विभाग के जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला में निशुल्क जाँच करा सकते है।
5. घरों में लगने वाले टैप ब्रास का होना चाहिए। टैंप घर के अंदर या आपके आवश्यकतानुसार चयनित स्थल पर अधिष्ठापित किया जाना है।
6. घर में लगने वाले नल के जी.आई. पाईप को प्लास्टीक पाईप में केसींग कर कंक्रीट द्वारा ढलाई किया जायेगा।

हर घर नल का जल

“ज्यादा पानी नहीं बहाये
बूंद-बूंद जल काम में लाएँ”

**पानी की गुणवत्ता जाँच के लिए अपने जिले के कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संपर्क करें।**

टोल फ्री नं0: 1800 1231 121